राज्य सरकार को सबरीमाला का प्रबंधन करने का है अधिकार

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

03 दिसंबर, 2018

विवाद मंदिर की परंपरा से संबंधित है जहां 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस परंपरा का बचाव करने वाले लोग कहते हैं कि यह नियम इस विश्वास में निहित है कि देवता एक शाश्वत ब्रह्मांड है और महिलाएं 41 दिनों की प्रारंभिक तपस्या को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगी।

केरल में सबरीमाला मंदिर एक सांप्रदायिक मंदिर नहीं है और इसलिए इसे संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है और यह बात राज्य की वाम मोर्चा सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया। अदालत ने भगवान अयप्पा को समर्पित मंदिर के अंदर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना निर्णय आरक्षित कर दिया है।

वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान खंडपीठ को बताया कि संविधान ने राज्य को न केवल सामाजिक कल्याण के लिए बल्कि धार्मिक मामलों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया है। बेंच में जस्टिस ए. एम. खानविलर, आर एफ नरीमन, डी. वाई. चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा भी शामिल थे।

मंदिर प्रबंधन और अन्य ने भी प्रतिबंधों का बचाव किया है जिनका कहना है कि मासिक धर्म की उम्र तक महिलाओं का प्रवेश अनुचित है। इन्होने तर्क दिया है कि भगवान अयप्पा के भक्तों ने स्वयं एक संप्रदाय का निर्माण किया था और इसलिए वे राज्य के हस्तक्षेप के बिना मंदिर के लिए नियम तैयार करने के हकदार थे।

इसका विरोध करते हुए, गुप्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने मंदिर को सांप्रदायिक माना था, लेकिन निर्णय लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सभी विस्तृत परीक्षणों को लागू नहीं किया था। उन्होंने तर्क दिया कि एक संप्रदाय के पास एक निश्चित संरचना, नाम इत्यादि होना चाहिए, जबकि सबरीमाला भक्तों की ऐसी पहचान योग्य विशेषताएं नहीं थीं।

सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन के साथ मामले में दो अमीकस क्यूरियर (सलाहकार) में से एक वरिष्ठ वकील राममूर्ती ने तर्क दिया कि राज्य केवल मंदिर के धर्मनिरपेक्ष मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, न कि इसके धार्मिक पहलुओं में। राज्य सरकारों द्वारा राजनीतिक कारणों से दक्षिण भारत में मंदिरों को अपने अधीन कर लिया गया क्योंकि वे राज्य में पैसे लाने का एक बेहतर जरिया थे। लेकिन राज्य केवल प्रबंधन से संबंधित धर्मनिरपेक्ष मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि नियम लिंग के आधार पर भेदभाव के रूप में हैं क्योंकि केवल 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं प्रतिबंधित हैं। अगर यह केवल महिलाओं के लिए लागू है, तो यह लिंग आधारित है, उसने तर्क दिया।

जयसिंह ने कहा कि अनुच्छेद 15, जो शब्द केवल को नियोजित करती है, व्यक्तिगत कानूनों की व्याख्या करने में बाधा थी। प्रावधान कहता है: राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि लिंग और उसके अतिरिक्त कुछ के आधार पर भेदभाव हो सकता है, उन्होंने कहा।

इस परंपरा का उद्देश्य भेदभाव करना नहीं था। यह एक प्रभाव था जिसकी उस वक्त काफी महत्ता थी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा: मान लीजिए कि यह पर लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, अगर उस भेदभाव का असर आपके अधिकारों को प्रभावित करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लिंग आधारित है या यह किसी अन्य मामले पर आधारित है।

जयसिंह ने तर्क दिया कि प्रभाव असमान है और केवल एक जेंडर द्वारा महसूस किया जाता है क्योंकि पुरूषों को मासिक धर्म नहीं होते। अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करने वाला कोई भी रिवाज अदालत द्वारा मान्यता के योग्य नहीं है। हालांकि, न्यायमूर्ति नरीमन ने यह इंगित किया कि अदालत को यह तय करना है कि क्या आवश्यक है (अभ्यास) और क्या आवश्यक नहीं है।

जयसिंह ने तर्क दिया कि परंपरा महिलाओं को बदनाम करना था और यह सबसे खराब रूढ़िवादी बात थी।

विवाद मंदिर की परंपरा से संबंधित है जहां 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस परंपरा का बचाव करने वाले लोग कहते हैं कि यह नियम इस विश्वास में निहित है कि देवता एक शाश्वत ब्रह्मांड है और महिलाएं 41 दिनों की प्रारंभिक तपस्या को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगी।

याचिकाकर्ताओं में पांच महिला वकीलों की एक समूह शामिल है जिन्होंने केरल हिंदू स्थानों के सार्वजनिक पूजा (प्रवेश प्राधिकरण) नियम, 1965 के नियम 3(बी) को चुनौती दी है, जो प्रतिबंध को अधिकृत करता है। केरल उच्च न्यायालय ने पूर्व में प्रतिबंधों को बरकरार रखा था और कहा था कि परंपराओं पर फैसला करने के लिए केवल पंडित (पुजारी) को अधिकार दिया गया था।

सबरीमाला मुद्दा

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी है।
- कोर्ट ने साफ कहा है कि हर उम्र वर्ग की महिलाएं अब मंदिर में प्रवेश कर सकेंगी।

क्यों था प्रवेश वर्जित?

- केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के जाने पर रोक थी। खासकर 15 साल से ऊपर की लड़कियां और महिलाएं इस मंदिर में नहीं जा सकतीं।
- यहां सिर्फ छोटी बच्चियां और बूढ़ी महिलाएं ही प्रवेश पर कोई मनाई नहीं है। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे।
- ऐसे में युवा और किशोरी महिलाओं को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब महिलाएं इस मंदिर में प्रवेश कर सकती है।

पृष्ठभूमि

- केरल के सबरीमाला मंदिर का अपना एक अलग महत्त्व है। यहां भगवान शिव के तीसरे पुत्र और विष्णु की अवतार मोहिनी के बेटे भगवान अयप्पा की पूजा अर्चना होती है।
- दुनिया के बड़े तीर्थ स्थलों में ये भी एक है।
- सबरीमाला मंदिर में परंपरा के अनुसार, 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है।
- मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, यहाँ 1500 साल से महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके लिये कुछ धार्मिक कारण बताए जाते हैं।
- केरल के यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने इस प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2006 में पीआईएल दाखिल की थी।
- सबरीमाला मंदिर में हर साल नवंबर से जनवरी तक श्रद्धालु अयप्पा भगवान के दर्शन के लिये जाते हैं, इसके अलावा पूरे साल यह मंदिर आम भक्तों के लिये बंद रहता है।
- भगवान अयप्पा के भक्तों के लिये मकर संक्रांति का दिन बहुत खास होता है, इसीलिये उस दिन यहाँ सबसे ज्यादा भक्त पहुँचते हैं।
- पौराणिक कथाओं के अनुसार, अयप्पा को भगवान शिव और मोहिनी (विष्णु जी का एक रूप) का पुत्र माना जाता है।

प्रतिबंध के पक्ष में तर्क

- सबरीमाला में भगवान अयप्पा की एक नास्तिक ब्रह्मचारी के रूप में पूजा की जाती है और यह दैवीय सिद्धांत की दृष्टि से एक तांत्रिक क्रिया है न कि वैदिक।
- तांत्रिक व्यवस्था में यह मंदिर एक प्रार्थना कक्ष नहीं है बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है, जहाँ देवता ईश्वर नहीं, बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है।
- प्रत्येक मंदिर की अपनी विशिष्टता है और यही विशिष्टता उस मंदिर की आत्मा भी है। इस दृष्टि से सबरीमाला की इस विशिष्टता को बनाए रखना होगा।
- ऐसा नहीं है कि इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक है, वास्तव में प्रतिवर्ष इस मंदिर में आने वाली महिला श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में है, प्रतिबंध केवल उन्हीं महिलाओं के प्रवेश पर है जिनकी आयु 10 से 50 वर्ष के बीच है।

प्रवेश निषेध के विपक्ष में तर्क

- सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की प्रवेश को 'शुद्धता' के एक तर्कहीन और अप्रचलित धारणा के आधार पर प्रतिबंधित करना स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णित समानता के प्रावधानों के विरुद्ध है।
- इस प्रकार के प्रतिबंध लैंगिक समानता बहाल करने की दिशा में प्रतिगामी कदम हैं।
- यह प्रतिबंध एक पितृसत्तात्मक समाज और महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का परिचायक है।
- यह प्रवेश निषेध अनुच्छेद-14 (समानता), अनुच्छेद 15 (लिंग आधारित भेदभाव की मनाही) और अनुच्छेद 17 (छुआछूत की मनाही) का उल्लंघन है।
- साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद-25 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन है।
- नारीत्व और इससे संबंधित जैविक विशेषताओं के आधार पर यह प्रवेश निषेध महिलाओं के लिये अनादरसूचक है, जबकि अनुच्छेद 51 ए (ई) में महिलाओं को गरिमामय जीवन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

- सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की प्रवेश को 'शुद्धता' के एक तर्कहीन और अप्रचलित धारणा के आधार पर प्रतिबंधित करना स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णित समानता के प्रावधानों के विरुद्ध है।
- इस प्रकार के प्रतिबंध लैंगिक समानता बहाल करने की दिशा में प्रतिगामी कदम हैं।
- यह प्रतिबंध एक पितृसत्तात्मक समाज और महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का परिचायक है।
- यह प्रवेश निषेध अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (लिंग आधारित भेदभाव की मनाही) और अनुच्छेद 17 (छुआछूत की मनाही) का उल्लंघन है।
- साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद-25 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन है।
- नारीत्व और इससे संबंधित जैविक विशेषताओं के आधार पर यह प्रवेश निषेध महिलाओं के लिये अनादरसूचक है, जबकि अनुच्छेद 51 ए (ई) में महिलाओं को गरिमामय जीवन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा

1. हाल ही में केरल के 'सबरीमाला मंदिर' काफी सुर्खियों में रहा। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है।
   2. इस मंदिर को अनुच्छेद-26 के तहत अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
   3. हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सभी उम्र के महिलाओं को प्रवेश का अधिकार प्रदान किया।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) 1 और 2 (c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा

2. नारीत्व और इससे सम्बन्धित जैविक विशेषताओं के आधार पर किसी धार्मिक स्थल पर महिलाओं का प्रवेश ना देना, महिलाओं के लिए अनादरसूचक है। आप इस संदर्भ में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश न देने को किस प्रकार देखते हैं? मंदिर प्रवेश के संबंध में आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

नोट : 01 दिसंबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।